भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक
(RELIGIOUS MINORITIES IN INDIA)

भारत में स्वतन्त्रता से पहले तक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विभेद करने का कोई प्रश्न नहीं उठा। इसका कारण यह था कि मुगल शासन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक मुसलमानों का प्रतिशत हिन्दुओं की तुलना में बहुत कम होने के बाद भी उन्हें सभी तरह का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरक्षण मिलता रहा। ब्रिटिश काल में सत्ता का सम्बन्ध ईसाई धर्म से होने के कारण ईसाइयों ने भी न तो कोई समस्या महसूस की और न ही उन्होंने अपने आपको एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्थापित करने की माँग की। स्वतन्त्रता के बाद एंग्लो-इण्डियन समूह का एक बड़ा भाग यूरोप में जाकर बस गया, जबकि धार्मिक आधार पर देश का विभाजन होने के कारण काफी मुसलमान पाकिस्तान चले गये। इसके फलस्वरूप मुसलमानों और ईसाइयों में धीरे-धीरे यह भावना पैदा होने लगी कि संख्या में कम होने के कारण उनकी राजनीतिक शक्ति बहुत कम रह जायेगी और आर्थिक रूप से भी उन्हें बहुसंख्यक समुदाय के समान सुविधाएँ नहीं मिल सकेंगी।

धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का प्रश्न 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही दुनिया की राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। पश्चिमी देशों के अतिरिक्त रूस और यूगोस्लाविया में भी धर्म के आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव और संघर्ष की घटनाएँ

Scanned with CamScanner

घटी है। तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में, भारत में अल्पसंख्यकों का प्रश्न लगातार जटिल होता जा रहा है। यहाँ अल्पसंख्यक की समस्या का इतिहास लगभग 70 वर्ष पुराना है। इससे पहले ब्रिटिश शासन काल में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। इसके बाद भी जैसे-जैसे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोर पकड़ता गया, बहुत-से मुस्लिम नेताओं ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि स्वतन्त्रता के बाद अपनी कम आबादी के कारण वे हिन्दुओं के अधीन हो जायेंगे। इसी मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण यहाँ सन् 1930 के लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं। परिणाम यह हुआ कि सन् 1930 और 1944 के बीच जितने अधिक हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए, उतने पहले कभी नहीं हुए थे। स्वतन्त्रता के समय देश के विभाजन के साथ पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया जिसमें धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के विभाजन का कोई प्रश्न नहीं उठा। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया तथा संविधान में यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा। यहीं से सम्पूर्ण देश बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे दो भागों में बँटने लगा।

भारत की जनसंख्या में सदैव से ही हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक रही है। इसे पिछली तीन जनगणनाओं के आँकड़ों से समझा जा सकता है।

भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी

धर्म	1981	1991	2001	2011
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत (अनुमानित)
हिन्दू	82.6	82.41	81.17	78.20
मुसलमान	11.4	11.67	13.04	16.01
ईसाई	2.4	2.32	2.16	2.15
सिक्ख	2.0	1.99	2.02	2.03
बौद्ध	0.7	0.77	0.79	0.81
जैन	0.5	0.41	0.40	0.39
अन्य (पारसी सहित)	0.4	0.43	0.42	0.41

सन् 2011 की जनगणना से सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक समुदायों का प्रतिशत अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन गैर-सरकारी सूचनाओं के आधार पर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 16 से भी अधिक हो चुका है। हिन्दू धर्म से सम्बन्धित जनसंख्या लगभग 78 प्रतिशत है। तीसरा स्थान ईसाई समुदाय का है जिसका प्रतिशत 2.16 है। सिक्ख धर्म के अनुयायियों की संख्या भी ईसाइयों के लगभग बराबर है, जबकि बौद्ध, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले लोगों का प्रतिशत काफी कम है। दूसरा तथ्य यह है कि सिक्ख, बौद्ध तथा जैन धर्म हिन्दू धर्म में होने वाले सुधारवादी आन्दोलनों का परिणाम होने के कारण संजातीय और सांस्कृतिक रूप से कभी हिन्दू धर्म से पूरी तरह अलग नहीं रहे। इसके विपरीत, मुस्लिम और ईसाई धर्म की संस्कृति हिन्दू धर्म से काफी भिन्न होने के कारण उन्होंने सदैव अपने लिए ऐसे अधिकारों की माँग की जिससे उनकी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। भारत के सभी क्षेत्रों में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है। मुस्लिम जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल तथा जम्मू और कश्मीर में है, जबकि ईसाई जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत नागालैण्ड, मेघालय और मणिपुर में है। पंजाब में सिक्ख धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। इसका सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर डॉ. जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम कार्य

Scanned with CamScanner

कर चुके हैं। श्री हिदायतुल्लाह और एच. एम. बेग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जबकि एअर चीफ मार्शल के पद पर इदरिस हसन लतीफ कार्य कर चुके है। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल तथा केन्द्र और राज्य सरकार में मंत्रियों के रूप में भी कार्य करने वाले मुस्लिम नेताओं की संख्या कम नहीं रही। स्पष्ट है कि भारत में धार्मिक आधार पर हिन्दू और मुस्लिम बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का सवाल हमेशा उठाया जाता रहा है लेकिन इनके बीच किसी तरह का ऐसा विभेद नहीं है जो दुनिया के दूसरे धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच देखने को मिलता है।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Muslim Minority)

संजातीय (ethnic) तथा धार्मिक रूप से मुस्लिम समुदाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग है। भारत में जैसे-जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रकार के संरक्षण देने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयत्न किये गये, किसी न किसी कारण मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में ऐसी समस्याएँ बढ़ती गयीं जिनका आधार वास्तविक होने की जगह राजनीतिक अधिक है। संक्षेप में, इन समस्याओ की प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है :

(1) **असुरक्षा की भावना**—स्वतन्त्रता के बाद से ही मुस्लिम समुदाय में यह भावना जोर पकड़ती गयी कि देश के लोकतान्त्रिक ढाँचे में संख्या शक्ति का सबसे अधिक महत्व होता है लेकिन हिन्दुओं की तुलना में मुसलमानों की कुल संख्या बहुत कम होने के कारण वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होते जायेंगे। इसी कारण उन्होंने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह अपने लिए भी पृथक् निर्वाचन मण्डलों की माँग करना आरम्भ कर दी। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में यह माँग अव्यावहारिक होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

(2) **शैक्षणिक समस्याएँ**—मुसलमानों की एक प्रमुख समस्या भारत के दूसरे सभी धार्मिक समुदायों की तुलना में शैक्षणिक पिछड़ापन है। यह सच है कि देश के संविधान के अनुसार सभी समुदायों को शिक्षा ग्रहण करने के व्यावहारिक अधिकार मिले हुए हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय की परम्पराएँ स्वयं आधुनिक शिक्षा के पक्ष में नहीं है। शिक्षा की कमी के कारण राजकीय नौकरियों में जब उनका सहभाग कम रह जाता है तो उनमे असन्तोष बढ़ने लगता है।

(3) **आर्थिक पिछड़ापन**—किसी न किसी रूप में यह समस्या शैक्षणिक पिछड़ेपन से ही सम्बन्धित है। उद्योग और व्यापार में आगे बढ़ने के लिए जिस शैक्षणिक कुशलता की जरूरत होती है, मुस्लिम समुदाय में उसकी काफी कमी होने के कारण मुस्लिम जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही सम्पन्न है। ऐसा अनुमान है कि मुस्लिम जनसंख्या का 85 प्रतिशत से भी अधिक भाग खेतिहर अथवा कामगर है तथा अधिकांश परिवारों में बच्चों को बहुत कम आयु से ही आजीविका कमाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मुस्लिम समुदाय इसी कारण अपने लिए कुछ विशेष आर्थिक सुविधाओं की माँग करता रहा है।

(4) **सांस्कृतिक पृथकता की समस्या**—मुस्लिम समुदाय की एक मुख्य समस्या उनका एक पृथक् सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन है। देश के अन्य समुदायों के लिए जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, वहीं मुसलमानों को उन्हीं के धार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सामाजिक नियमों (शरियत) तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार व्यवहार करें। मुसलमानों के विकास के लिए सरकार ने अनेक बार उनके समुदाय में प्रचलित विवाह, तलाक और स्त्रियों की प्रस्थिति से सम्बन्धित विषयों में उपयोगी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया लेकिन स्वयं मुसलमानों ने इसे अपने जीवन में हस्तक्षेप मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। सामाजिक जीवन जब ...क कट्टरता के अधीन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें विघटन के तत्व पैदा होने लगते हैं।

(5) **साम्प्रदायिक तनाव**—इस समस्या का सम्बन्ध अपनी एक अलग पहचान बनाये रखने के उन्माद और असुरक्षा की ग्रन्थि से सम्बन्धित है। हमारे देश में स्वतन्त्रता से पहले और बाद में साम्प्रदायिक दंगे उन क्षेत्रों में सबसे अधिक हुए जिनमें दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। इन तनावों का कोई ठोस कारण न होने के बाद भी साधारणतया इनका उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। मुसलमानो का शिक्षित वर्ग स्वयं ऐसे तनावों का विरोधी है लेकिन सामान्य लोग इसे बहुसंख्यक समुदाय द्वारा जनित मानते हैं।

Scanned with CamScanner

(6) भाषा की समस्या—भारत की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत आज लगभग 16 है लेकिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का केवल 5.13 प्रतिशत ही उर्दू भाषा को अपनी मातृ भाषा मानता है। इसका तात्पर्य है कि अधिकांश मुसलमान बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम अथवा कश्मीरी भाषाओं से सम्बन्धित है। जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी काफी है, उनमें समय-समय पर उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की माँग की जाती रही है। यद्यपि अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में ही यह माँग स्वीकार की गयी है। उर्दू को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर भारत के अनेक राज्यों में मुस्लिम मदरसे स्थापित किये गये लेकिन इनमें दी जाने वाली शिक्षा को सन्देह की निगाह से देखने के कारण एक नया विवाद पैदा हो गया।

भारत में मुस्लिम समुदाय को वे सभी सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त हैं जो बहुसंख्यकों को मिले हुए है। स्पष्ट है कि मुस्लिम समुदायों की समस्याओं का सम्बन्ध अल्पसंख्यक वर्ग होने से नहीं है बल्कि इसका कारण उन्हीं की अपनी एक विशेष सामाजिक और धार्मिक संरचना है। मुसलमानों में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ेगा, उनकी इन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान स्वयं ही होता जायेगा।

ईसाई व सिक्ख अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Christian and Sikh Minorities)

भारत के अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के बाद दूसरा स्थान ईसाइयों का है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ईसाइयों की संख्या लगभग 2.50 करोड़ है। अंग्रेजी शासनकाल में ईसाइयों की संख्या कम होने के बाद भी उन्हें सभी तरह का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। फलस्वरूप उन्होंने कभी भी अपने आपको अल्पसंख्यक के रूप में नहीं देखा। इस अवधि में हिन्दुओं की निम्न जातियों से सम्बन्धित एक बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। स्वतन्त्रता के बाद भी ईसाई मिशनरियों ने अनेक जनजातियों की गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें ईसाई धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा दी। इसी के फलस्वरूप धार्मिक आधार पर अनेक ईसाई मिशनरियों का विरोध किया जाने लगा तथा अनेक ईसाई संगठन अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे। नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर और असम में ईसाइयों की संख्या काफी बढ़ जाने से उन्होंने क्षेत्रीय आधार पर अपने लिए पृथक् अधिकारों की माँग करना आरम्भ कर दी। सच तो यह है कि अधिकांश ईसाई शिक्षित हैं तथा उनका सम्बन्ध समाज के मध्यम वर्ग से है। इसके बाद भी जो लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, उन्हें चर्च और सामाजिक जीवन में वे अधिकार नहीं मिल सके जो परम्परागत ईसाइयों को प्राप्त हैं। एक अल्पसंख्यक समूह के रूप में ईसाइयों के एक वर्ग ने भी विभिन्न सेवाओं में मुसलमानों का अनुकरण करके अपने लिए आरक्षण की माँग की है लेकिन लोकतान्त्रिक ढाँचे में उनकी संख्या शक्ति कम होने के कारण राजनीतिक दलों द्वारा ईसाई समुदाय की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

जहाँ तक सिक्ख अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, वे देश में अल्पसंख्यक हैं लेकिन पंजाब में सिक्खों की जनसंख्या 61 प्रतिशत होने के कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुसंख्यक समुदाय की है। शिक्षा, राजनीति, उद्योग और सरकारी सेवाओं में भी सिक्खों का अच्छा प्रतिनिधित्व है। प्रोफेसर मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को बहुमूल्य सेवाएँ दीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांस्कृतिक आधार पर सिक्ख समुदाय अपने आपको हिन्दू समुदाय से भिन्न नहीं मानता। दोनों ही एक-दूसरे के धर्म और संस्कृति का आदर करते हैं। इसके बाद भी लगभग 30 वर्ष पहले सिक्खों में एक ऐसा वर्ग बनने लगा जिसने सिक्खों को हिन्दुओं से बिल्कुल भिन्न मानते हुए अपने लिए खालिस्तान के रूप में एक पृथक् राज्य की माँग करना आरम्भ कर दी। इससे कुछ समय के लिए हिन्दू-सिक्ख एकता खतरे में पड़ती दिखायी दी लेकिन जल्दी ही सभी लोग यह समझने लगे कि यह पृथकतावादी आन्दोलन कुछ विदेशी ताकतों की राजनीति से प्रेरित है। वर्तमान में न तो सिक्ख मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आपको अल्पसंख्यक मानते हैं और न ही अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनकी कोई विशेष समस्या है।

Scanned with CamScanner